



प्रेस नोट जनपद बागपत

जनपद बागपत

दिनांक 14.04.2025

बागपत पुलिस ने 07 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस द्वारा 07 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का

नाम व पता:-

- 1-अमित पुत्र फेरू निवासी ग्राम शबगा थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 2-रमेश पुत्र तिलकराम निवासी ग्राम कुर्डी थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 3-दीपक पुत्र रमेश निवासी ग्राम शबगा थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 4-नितिन पुत्र कृष्णपाल नि0 ग्राम सांकरोद थाना खेकडा जिला बागपत ।
- 5-विक्रम पुत्र तेजपाल नि0 निवाली थाना व जनपद बागपत उम्र 40 वर्ष ।
- 6-सुशील पुत्र रामस्वरूप निवासी ग्राम दत्तनगर थाना बालैनी जिला बागपत ।
- 7-दीपक पुत्र शीशपाल निवासी ग्राम जिवाना गुलियान थाना बिनौली जनपद बागपत ।



गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-थाना छपरौली पुलिस टीम ।
- 2-थाना खेकडा पुलिस टीम ।
- 3-थाना कोतवाली बागपत पुलिस टीम ।
- 4-थाना बालैनी पुलिस टीम ।
- 5-थाना बिनौली पुलिस टीम ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा

दिनांक 14.04.2025

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0स0 284/24 धारा 127(2)/204/309(4)/351(2)/317(2) बी0एन0एस0 BNS में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त सफेद रंग की सलेरियो कार बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 10.09.2024 को थाना खेकड़ा पर वादी श्री रमनपाल s/o वीरेन्द्र सिंह मकान न0 272 गली न0 5 भगत बिहार करावल नगर दिल्ली 110094 ने सूचना दी कि दिनांक 08.09.24 को वादी अपनी गाडी संख्या DL 1 LAL 9597 टाटा ऐन्ट्रा खेकड़ा गैस ऐन्जीस से 96 घरेलू गैस सिलेन्डर (इण्डेन गैस) लोड कर



ग्राम-डूण्डाहैडा के आस-पास गाँव में डिलेवरी करने जा रहा था तो ग्राम डूण्डाहैडा के पास एक सफेद रंग की पंजाब नम्बर की सेलेरियो कार में मेरी गाडी को ओवर टेक कर रुकवा लिया जिसमें 2 लोगो ने उतर कर जबरदस्ती मेरी गाडी से उतार लिया और कहाँ कि हम डी-एस-ओ से है और बल पूर्वक मेरी गाडी मुझसे छीन कर मुझे बन्धक बनाकर बल पूर्वक मेरी गाडी के लोड 96 सिलेन्डर घरेलू लूट लिये इस घटना मे 4 लोग सामिल थे । इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 284/24 धारा 127(2)/204/309(4)/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था ।

दिनांक 11.09.24 को घटना का सफल अनावरण करते हुए एक नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था जिसके कब्जे से घटना से सम्बन्धित लूट का माल 85 सिलेन्डर घरेलू व एक गाडी बुलेरो पिकअप रजिस्ट्रेशन नं0 DL 1 L AM 1071 बरामद हुए थे इस आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की हुई थी जिसमें चार अभियुक्तों (1. सतीश पुत्र विजय नि0 समसपुर थाना जाफरपुर कला दिल्ली हाल पता सी

174 सैक्टर सी 2 ट्रौनिका सिटी गाजियाबाद 2. अनमोल उर्फ मोनू पुत्र सुनील 3. सिद्धु पुत्र देवेन्द्र नि0गण ठिकौली थाना चांदीनगर, बागपत 4.शुभम राणा पुत्र विजेन्द्र नि0 के.एच 61/05 त्रिवेणी कलोनी बख्तावरपुर दिल्ली हरियाणा बार्डर स्थायी पता म0न0 21/2 गली न0 6 जैन बिल्ला कालोनी थाना जमालपुर भामिया खुर्द लुधियाना पंजाब) का नाम प्रकाश में आया था दो अभियुक्तो (सतीश दिनांक 11.09.24 व अनमोल 16.09.24 उपरोक्त) को पहले गिरफ्तार कर मा0न्याया0 बागपत के समक्ष पेश किया जा चुका है तथा अभियुक्त सिद्धू उपरोक्त द्वारा मा0न्याया0 बागपत के समक्ष दिनांक 17.09.24 को आत्मसमर्पण किया जा चुका है जिसमें अभी तक शेष अभियुक्त शुभम उपरोक्त वांछित चल रहा था जिसे आज गिरफ्तार किया गया है ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 284/24 धारा 127(2)/204/309(4)/351(2)/317(2) बी0एन0एस0 - 2023 BNS में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त कार मारुति सिलैरियो गाड़ी नं0 PB 10 HG 5706 घटना में बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शुभम पुत्र विजेन्द्र निवासी के.एच 61/05 त्रिवेणी कलोनी बख्तावरपुर दिल्ली हरियाणा बार्डर स्थायी पता म0न0 21/2 गली न0 6 जैन बिल्ला कालोनी थाना जमालपुर भामिया खुर्द लुधियाना पंजाब ।

बरामदगी विवरण -

- कार मारुति सिलैरियो गाड़ी नं0 PB 10 HG 5706 घटना में प्रयुक्त ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1- उ0नि0 श्री राजकुमार गौतम थाना खेकडा ।
2. है0का0 452 मनोज कुमार थाना खेकडा ।
3. का0 750 शेखर कुमार थाना खेकडा ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 14.04.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 191/2025 धारा
352/131/118(1)/109 बी0एन0एस0 से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया
गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक उस्तरा बरामद ।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

दिनांक 13.04.2025 को वादी श्री अश्वनी कुमार उर्फ मुरली पुत्र श्री जयपाल सिंह निवासी अग्रवाल मण्डी पट्टी देशवाल कस्बा टटीरी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा जनता की मदद से अभियुक्त अंकुश पुत्र सत्यपाल निवासी वाल्मिकी मौहल्ला अग्रवाल मण्डी कस्बा टटीरी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत को पकड कर थाने लाया गया तथा वादी ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त अंकुश द्वारा वादी के भाई विपिन कुमार उर्फ टोने के साथ गाली-गलौज की गई, गाली देने से मना करने पर अभियुक्त द्वारा वादी के भाई पर उस्तरे व कैंची से जान से मारने की नियत से हाथ, पीठ व पैर पर हमला किया, जिससे वादी के गम्भीर रूप से घायल हो गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 191/2025 धारा 352/131/118(1)/109 बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया, अभियुक्त अंकुश को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 उस्तरा बरामद हुआ है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

अंकुश पुत्र सत्यपाल निवासी वाल्मिकी मौहल्ला अग्रवाल मण्डी कस्बा टटीरी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत उम्र करीब 25 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त 01 उस्तरा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-का0 1039 हरेन्द्र कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-हो0गा0 323 यशपाल सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनाँक 14.04.2025

थाना रमाला पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 17 पच्चे अवैध देशी शराब यूपी मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 17 पच्चे अवैध देशी शराब यूपी मार्का बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अशोक उर्फ बिल्लू पुत्र बलवीर सिंह निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत

बरामदगी का विवरण-

- 17 पच्चे अवैध देशी शराब यूपी मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री पुष्पराज विश्वाई थाना रमाला जनपद बागपत ।

2-उ0नि0 श्री मयंक प्रताप थाना रमाला जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना सिंघावली अहीर दिनांक 14.04.2025

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमन्चा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमन्चा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 136/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अनुरोध- बागपत पुलिस द्वारा अनुरोध किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलहे का प्रयोग न करे एवं लाईसेंसी हथियारो का प्रदर्शन ना किया जाये, यदि ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है तो उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आफताब पुत्र अकरम निवासी सैहडभर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमन्चा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री अखिलेश यादव थाना सिंघावली अहीर बागपत।
2. उ0नि0 आदित्य कुमार थाना सिंघावली अहीर बागपत।
3. है0का0 223 सचिन कुमार थाना सिंघावली अहीर बागपत।
4. है0का0 613 नवीन कुमार थाना सिंघावली अहीर बागपत।

